पत्रांक-04 / SJSRY-09/2014 - 1497 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

संयुक्त सचिव-सह-उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार।
सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद / नगर पंचायत ।

पटना, दिनांक- 14/06/18

विषयः- SJSRY योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-4284 दिनांक-29.09.2015 एवं 526 दिनांक-23.02.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र का स्मरण किया जाय। प्रसांगिक पत्र द्वारा SJSRY योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो आदिनांक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा SJSRY योजना सम्प्रति बंद की जा चुकी है। उक्त योजना के स्थान पर DAY-NULM योजना शुरू की गई है। जिस नगर निकाय में DAY-NULM शुरू की गयी है, उस नगर निकाय को विभागीय पत्रांक-1917 दिनांक-08.08.14 द्वारा DAY-NULM के खाता में SJSRY की शेष राशि स्थानान्तरित करने का एवं जिस नगर निकाय में DAY-NULM योजना शुरू नहीं की गयी है, उस नगर निकाय को विभागीय पत्रांक-1916 दिनांक-08.08.14 द्वारा विभाग को राशि वापस करने का निदेश दिया जा चुका है। कई बार स्मारित करने के बावजूद कई नगर निकाय द्वारा न तो राशि वापस की गयी और न ही व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया, जो काफी खेदजनक है।

अतः अनुरोध है कि SJSRY योजना की व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 10 दिनों के अंदर फॉर्म-42A में विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय साथ ही जिन नगर निकाय में DAY-NULM योजना लागू नहीं थी वे SJSRY योजना की अवशेष राशि को निदेशक, बुडा के नाम से चेक द्वारा विभाग को वापस कर दिया जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

14/6/18

संयुक्त सचिव-सह-उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।